

फाइल संख्या: एससीएच-11/5/2022-एसएनपी

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
(पीएमकेवीवाई डिवीजन - एसडी विंग)

पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग

नई दिल्ली - 110 001

दिनांक: 28 मार्च, 2021

सेवा में

प्रधान लेखाधिकारी

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफि मार्ग, नई दिल्ली -110001

विषय: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 के लिए त्रिपुरा सरकार को आवर्ती सहायता अनुदान जारी करना- जिसमें कौशल विकास निदेशालय (डीएसडी), त्रिपुरा सरकार द्वारा कोविड वारियर्स के लिए कोविड क्रैश कोर्स कार्यक्रम (सीडब्ल्यू के लिए सीसीसीपी) शामिल है।

कौशल विकास निदेशालय, त्रिपुरा सरकार द्वारा सी डब्ल्यू के लिए सीसीसीपी सहित पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएसएसएम घटक के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 92,00,000/- (बानवे लाख रुपये मात्र) की त्रिपुरा सरकार को आवर्ती सहायता अनुदान राशि के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है।

2. व्यय (मांग संख्या 91- एमएसडीई) के नामे डाला जाएगा।

मुख्य शीर्ष— 3601	धनराशि (रुपयों में)
3601.06.101.36.03.31-सहायता अनुदान- सामान्य	92,00,000

3. इस स्वीकृति आदेश के माध्यम से जो धनराशि जारी की जा रही है, उसके दो भाग हैं अर्थात् प्रशिक्षण लागत और अन्य लागत (अर्थात् व्यवस्थापक और तकनीकी हस्तक्षेप, जागरूकता और

नोटरीज़री

जुटाव और नियोजन के बाद की लागत)। चूंकि पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएसएसएम घटक को एसएसडीएम (राज्य कौशल विकास मिशन) द्वारा डीएससी (जिला कौशल समितियों) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है, अन्य लागतों के तहत एसएसडीएम और डीएससी के लिए दिशानिर्देशों में अलग से धन का प्रावधान किया गया है और यह नीचे दर्शाया गया है:

अन्य लागत का घटक	सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रतिशत
प्रशासनिक और तकनीकी हस्तक्षेप	2% डीएससी को
सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 6 प्रतिशत	4% एसएसडीएम को
जागरूकता और जुटाव:	2% डीएसवी को
सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 3 प्रतिशत	1% एसएसडीएम को
नियोजन उपरांत:	1% डीएससी को
सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत राज्य की कुल प्रशिक्षण लागत का 3 प्रतिशत	1% एसएसडीएम को
योग	डीएससी (5%) एसएसडीएम (6%)

4. वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्वीकृति आदेश के माध्यम से जारी की गई धनराशि को तुरंत डीएसडी को हस्तांतरित किया जाए। साथ ही, डीएसडी से अनुरोध किया जाता है कि धनराशि प्राप्त होने पर डीएससी के लिए निर्धारित धनराशि इस मंत्रालय को सूचित करते हुए तुरंत स्थानांतरित कर दी जाए।

5. 5 रिलीज निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन हैं:

- स्कीम के तहत निधि का वितरण/हस्तांतरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधि संवितरण पीएमकेवीवाई स्कीम दिशानिर्देशों और स्कीम के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
- निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे जारी किया जा रहा है।

नवीन जोगी

iv. सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) 2017 के अनुसार खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

v. व्यय आवंटित बजट से अधिक नहीं होगा।

vi. जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई को गैर-कर के माध्यम से खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद नॉन-टैक्स प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के माध्यम से अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में भेज दिया जाना चाहिए।

vii. निर्देशों/दिशानिर्देशों का कोई भी विचलन/विलगाव निधियों के आगे वितरण को प्रभावित करेगा।

6. सहायता अनुदान की राशि को प्रधान लेखा अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 की लेखा बही में अंतिम रूप से समायोजित किया जा सकता है। स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर, प्रधान लेखा अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक (केन्द्रीय लेखा अनुभाग), नागपुर को राज्य सरकार की शेष राशि में जमा करने के लिए एक सलाह जारी कर सकता है। प्रधान लेखा अधिकारी सलाह की एक प्रति राज्य सरकार के महालेखाकार और वित्त विभाग को एक प्रति के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित कर सकता है। राज्य सरकार सहायता अनुदान की प्राप्ति के संबंध में प्रधान लेखा अधिकारी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को सूचना भेजेगी।

7. अनुदानग्राही संस्थाओं के खाते भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे।

8. सीएसएम घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) के लिए निर्धारित निधि की यह पहली किश्त (यानी किश्त 1) है। सीएसएसएम- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को पहले कोई फंड जारी नहीं किया गया है।

9. यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 के अनुदान रजिस्टर के क्रमांक 6 पर नोट कर लिया गया है।

नवीन अरोड़ा

10. यह एएस एंड एफए, एकीकृत वित्त प्रभाग (एमएसडीई) की ई-फाइल नंबर 38760 दिनांक 01.06.2021 पर दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।


भवदीय,


(नवीन अरोरा)

अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 011-23465935
ई-मेल: naveen.arora81@gov.in

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित :

1. सचिव, वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार।
2. सचिव, कौशल विकास, त्रिपुरा सरकार।
3. अपर सचिव (एसडी विंग), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार (ए एंड ई), त्रिपुरा राज्य सरकार।
6. मिशन निदेशक, त्रिपुरा कौशल विकास मिशन।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, त्रिपुरा कौशल विकास मिशन।
8. एकीकृत वित्त विंग (आईएफडब्ल्यू), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (एलएडब्ल्यू), एमएसडीई
10. बजट अनुभाग (एमएसडीई)।
11. डीजीएसीआर, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
12. डीडीओ (नकद अनुभाग), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।


(नवीन अरोरा)

अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 011-23465935
ई-मेल: naveen.arora81@gov.in